FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नन्द कँवर धा0 रघुवीरसिंह बनाम पुष्कर सिंह पुत्र सौभाग कँवर पुत्री

राजपूत नि. सड़वासा व अन्य मूलसिंह जाति राजपूत व अन्य

किस्म मुकदमा नजरसानी नम्बर 51 सन् 2020 (नजरसानी)

नजरसानी प्रार्थना अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट 2020/00051 (ग्राम सड़वासा)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मदन लाल गुर्जर श्री	
14.2.20	यह नजरसानी प्रार्थना पत्र श्री मदन लाल गुर्जर एडवोकेट ने न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2020, अपील संख्या 482/2015 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 229 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के ग्राहयता पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि न्यायालय हाजा ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि वादीया-प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद संख्या 204/2011 बउनवान नन्दकंवर बनाम सरकार, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 205/2011 बउनवान पुष्करसिंह बनाम न्यालकंवर आदि से पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में धारा 10 सी.पी.सी.के तहत् समान पक्षकार व समान विषय वस्तु के लिए प्रस्तुत वादों को निर्णित करने के लिए न्यायालय को पश्चातवर्ती वाद को पूर्ववर्ती वाद के साथ कन्सोलिडैट कर ही निर्णय पारित किया जाना मैण्डेट्री था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद को पश्चातवर्ती वाद के साथ कन्सोलिटेड के आदेश पारित कर पश्चातवर्ती वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित कर पूर्ववती वाद में शामिल मिसल करने के आदेश क्षैत्राधिकार व अधिकारिता से परे जाकर पारित किये गये है एवं न्यायालय हाजा ने तकनीकी आधार पर निर्णय पारित किया गया है इसलिए निर्णय एवं डिक्री इस कानूनी बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में एरर अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड (Erro Apprant on the face of record)परिलक्षीत होना चाहिए एवं पुनरावलोकन अपील का स्थान नहीं ले सकता है। पुनरावलोकन के माध्यम से किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि को दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। पुनरावलोकनकर्ता का उपरोक्त कथन एरर अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड (Erro Apprant on the face of record) की श्रेणी में नही आने से यह नजरसानी प्रार्थना पत्र धारा 229 राज.काश्तकारी अधिनियम ग्राहयता स्तर पर ही अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, फैसलशुमार होकर नम्बर से कम किया जावें। [signature] 14/2/20	